74

संख्याः– 51 /VI(1)/2012–02(27)2010

प्रेषक,

डा0 एस0एस0 संधू,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 10 जनवरी, 2012

विषयः–वित्तीय वर्ष 2011–12 में पर्यटन विकास के चालू निर्माण कार्यो हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–392/2–6–68/2011–12, दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 एवं पत्र संख्या–408/2–6–68/2011–12, दिनांक 03 जनवरी, 2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्य सैक्टर के अन्तर्गत चालू निर्माण कार्यो हेतु निम्न विवरणानुसार ₹ 87.33 लाख (₹ सत्तासी लाख तैंतीस हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु निम्न शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :– (धनराशि ₹ लाख में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	स्वीकृत लागत	पूर्व अवमुक्त	स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1	टिहरी गढ़वाल में शीशमझाड़ी के अन्तर्गत छट पूजा घाट का निर्माण	138.90	85.00	53.90
2	जनपद पौड़ी में विकास खण्ड कोट में ग्राम देवल के अन्तर्गत चमना अम्बेडकर गॉव में खण्डिजा एवं सी0सी0 मार्ग का सौन्दर्यीकरण	4.93	3.00	1.93
3	विकास खण्ड द्वारीखाल के अन्तर्गत बालकुमारी मंदिर का सौन्दर्यीकरण	5.02	2.00	3.02
4	विकास खण्ड दुगड्डा के अन्तर्गत ग्राम सभा केष्टा में जौलदेवी मंदिर का सौन्दर्यीकरण	4.02	2.00	2.02
5	विकास खण्ड दुगड्डा (कोटद्वार) के अन्तर्गत घमण्डपुर में गुरुराम राय मंदिर का सौन्दर्यीकरण	4.02	2.00	2.02
6	जनपद टिहरी गढ़वाल मे अन्तर्गत हूणेश्वर महादेव मंदिर का सौन्दर्यीकरण	24.40	22.49	1.91
7	जनपद अल्मोड़ा में झांकर सैम मंदिर का सौन्दर्यीकरण	62.91	54.73	8.18
8	विकास खण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत अलकनन्दा नदी पर किलकिलेश्वर घाट का निर्माण	71.90	20.00	14.35
	योग :–	**316.10**	**191.22**	**87.33**

2– उक्त स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2012 तक पूर्ण उपयोग कर धनराशि की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

...2

3– कार्य के प्रति पूर्ण भुगतान करने के पूर्व किसी तृतीय पक्ष से इसकी गुणवत्ता की चेकिंग का कार्य उक्त अनुमोदित लागत से कराये जाने के बाद कार्य अनुमोदित आगणन के अनुसार होने की पुष्टि कर ही भुगतान की जायेगी।

4– एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय।

5– व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

6– सभी योजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि एवं न्यूनतम निविदा के सापेक्ष होने वाली बचत का विवरण एवं धनराशि कार्यदायी संस्थाओं से पर्यटन निदेशालय द्वारा प्राप्त कर राजकोष में जमा करायी जायेगी और शासन को अवगत कराया जायेगा।

7– उपरोक्त योजनाओं की स्वीकृति एवं धनराशि अवमुक्त से सम्बन्धित पूर्व शासनादेशों में उल्लिखित शर्ते यथावत रहेंगी।

8– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्बर्द्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर–47–पर्यटन विकास की चालू योजनायें–24–वृहत् निर्माण कार्य मद के नामें डाला जायेगा।

9– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 के प्राविधानों द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 एस0एस0 संधू)
सचिव।

<u>संख्याः– 51 /VI(1)/2011–02(27)2010, तद्दिनांकित।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
3– आयुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल।
4– सम्बन्धित जिलाधिकारी।
5– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7– निजी सचिव–मा0 पर्यटन मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
8– सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
9– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
10– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
11– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रमन रविनाथ)
अपर सचिव।